न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शत्रुघ्न व अन्य बनाम अब्दुल कलाम वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या –125/2025 (मसूदा)

	श्री पवन टांक एडवोकेट
	शत्रुघ्न बनाम अब्दुल कलाम वगैरह (2025/125)
20.02.2025	यह अपील श्री पवन टांक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 21/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 24.02.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर
24.02.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के संदर्भ में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.02.2025 को दर्ज कर नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा कहीं भी बहस किये जाने का अंकन नहीं है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं कर किसी भी प्रकार से स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु चाराजोही नहीं कर सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय**

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शत्रुघ्न व अन्य बनाम अब्दुल कलाम वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या –125/2025 (मसूदा)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अपील सं. 125/2025

1. शत्रुघ्न पुत्र लक्ष्मण सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह
   जाति- रावणा राजपूत निवासी- शिव कॉलोनी मयूर बेकरी के पीछे मसूदा रोड ब्यावर जिला अजमेर
3. श्रीमती मंजू पत्नि कान सिंह, जाति- रावणा राजपूत, निवासी- कंवर पदो का मौहल्ला तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. श्रीमती आशा देवी पत्नि भानसिंह, जाति- रावणा राजपूत, निवासी- राजीव कॉलोनी, विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
5. सुमान सिंह पुत्र हीरा सिंह
6. बुद्ध सिंह पुत्र हीरा सिंह
   जाति- रावणा राजपूत, निवासी- कंवर पदो का मौहल्ला तहसील मसूदा जिला अजमेर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अब्दुल कलाम आजाद पुत्र मोहम्मद शकूल मन्सूरी, जाति- मन्सूरी निवासी- पटवार घर के पास, पुराना बस स्टेण्ड मसूदा जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील मसूदा जिला अजमेर।
3. श्रीमान उपपंजियक महोदय, उपपंजियन कार्यालय मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

4. कौशल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति- रावणा राजपूत निवासी- शिव कॉलोनी मयूर बेकरी के पीछे मसूदा रोड ब्यावर जिला अजमेर।
5. शैलेन्द्र पुत्र सुजान सिंह
6. धमेन्द्र सिंह पुत्र सुजान सिंह
7. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सुजान सिंह
8. श्रीमती कमलेश पत्नि सुजान सिंह
   जाति- रावणा राजपूत निवासी- शास्त्री नगर अजमेर।
10. श्रीमती दीपिका पुत्री कान सिंह

Scanned with CamScanner

11. लवकुश पुत्र कान सिंह ,
जाति रावणा राजपूत निवासी कंवर पदो का मौहल्ला तहसील – मसूदा , जिला अजमेर ।
12. दिलीप सिंह पुत्र मान सिंह
13. दौलत सिंह पुत्र मानसिंह ,
जाति रावणा राजपूत राजीव कॉलोनी , विजयनगर तहसील विजयनबर जिला अजमेर ।

..... अप्रार्थी वादीगण रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा "जिला अजमेर" दिनांक : – 10.02.2021 उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण टी.आई. संख्या : – 21/2021 उनवान शत्रुधन सिंह बनाम अब्दुल कलाम आजाद वगैरा , जिसके व्दारा अन्तिरिम टी.आई. जारी नहीं किया जा रहा है ।

प्रार्थीगण की तरफ से निम्न निवेदन है :–––––––––––

1. यह कि अदालत मातहत खिलाफ कानून नियम व न्याय के कार्यवाही कर रही है ।

2. यह कि प्रार्थी इस अपील व प्रार्थना पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की सत्य प्रति भी साथ में पेश कर रहा है , जिसमें पैरा संख्या 1 से 14 में उठाए गए उर्जो के आधारों पर उसका आवेदन स्पष्ट रूप से काबिल स्वीकार योग्य है । प्रार्थी वादी व्दारा अदालत मातहत के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली का अन्तर्गत धारा 88 ,188 व 183 आर.टी.एक्ट 1955 पेश किया गया , जो समस्त प्रकार से काबिल डिक्री योग्य है तथा विवादित भूमि बाबत प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू सभी प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है ।

3. यह कि कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का दोनो पक्षों को सुन कर अधिकतम एक माह में अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यक है । किन्तु अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में ना ही अन्तिरिम टी.आई. ही प्रदान किया जा रहा है , जिसका नाजायज लाभ उठा कर अप्रार्थी विवादित भूमि के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने पर आमादा है , जिसका उनको कोई हक अधिकार नही है । इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निस्तारण तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखी जानी आवश्यक है ।

Scanned with CamScanner